न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/2020/116

1. नवरतन पुत्र नन्छुराम जाति बलाई आयु 60 वर्ष, निवासी कलवाडा महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. तहसीलदार सांगानेर तह. सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय दिनांकः 07.07.2023

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि ग्राम कलवाडा पटवार हल्का कलवाडा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खाता संख्या 425 के आराजी खसरा नंबर 1168 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1169 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1173 रकबा 1.000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1175 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1176 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1177 रकबा 0.0300, हैक्टेयर, खसरा नंबर 1179 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 07 कुल रकबा 2.0100 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसका वादी 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। तथा लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। विवादित आराजीयात पूर्व में सुवा पुत्र भैरू के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। सुवा पुत्र भूरा वादी का दादा लगता है। सुवा के फौती नामान्तकरण खोलते समय वादी का बोलता नाम नोरत्या पुत्र नन्छा दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का सही नाम नवरतन पुत्र नन्छुराम है तथा इसके बाद चौसाला बदलते समय सम्वत् 2037 से 2040 की जमाबंदी में वादी का नोरत्या पुत्र नान्या दर्ज कर दिया गया तथा सम्वत् 2058 से 2061 की जमाबंदी में नोरत्या पुत्र नाथ्या दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का सही नाम नवरतन पुत्र नन्छुराम है। नोरत्या पुत्र नान्या व नोरत्या पुत्र नाथ्या तथा नवरतन पुत्र नन्दुराम तीनो ही नाम एक ही व्यक्ति के है। तथा इस नाम का कोई दुसरा व्यक्ति ग्राम कलवाडा में नही है। वादी के समस्त दस्तावेजात जैसे परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि दस्तावेजात में वादी का नाम नवरतन पुत्र नन्दुराम दर्ज है जो सही है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम नोरत्या पुत्र नाथ्या गलत इन्द्राज होने से वादी को

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

राजकीय सुवधाओं से मिलने वाले लाभो से वंचित होना पड रहा है। तथा
वादी को काफी अनावश्यक मानसिक व आर्थिक परेशानियो का सामना करना
पड रहा है। वादी ने हाल ही में दिनांक 27.08.2020 को प्रतिवादी के समक्ष
उपस्थित होकर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने हेतु निवेदन
किया परन्तु प्रतिवादी ने नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया एवं मान्य
न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर नाम दुरूस्त करवाने को कहा इसलिए वादी को
यह वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री
फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर
नोरत्या पुत्र नाथ्या के स्थान पर नवरतन पुत्र नन्छुराम दर्ज किये जाकर
खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया
गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से
अपने पत्र क्रमांक 2443 दिनांक 30.12.2022 के द्वारा जवाब दावा पेश किया
गया जिसमें अंकित है कि वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार
आराजी खसरा नंबर 1168 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1169 रकबा
0.15 हेक्टेयर, 3008/1175 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 3010/1173 रकबा 0.59
हैक्टेयर, 3012/1179 रकबा 0.0766 हैक्टेयर किता 5 रकबा 1.3066 हैक्टेयर
की खातेदारी कैलाश पुत्र मेवा हिस्सा 1/6 जाति बलाई सा0देह चन्दाराम
पुत्र मेवा हि0 1/6 बाबूलाल पुत्र मेवा हि0 1/6 मनफूल पुत्र मेवा हि0 1/6
रामलाल पुत्र मेवा हि0 1/6 सुजाराम पुत्र मेवा हि0 1/6 जाति बलाई
सा0देह व खसरा नंबर 1176 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 1177 रकबा 0.03 हैक्टेयर
किता 2 रकबा 0.05 हैक्टेयर की खातेदारी कैलाश पुत्र मेवा हि0 1/9
चन्दाराम पुत्र मेवा हि0 1/9 नोरत्या पुत्र नाथ्या हि0 1/3 राहिन
एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा बगरू बाबूलाल पुत्र मेवा हि0 1/9 मनफूल पुत्र
मेवा हि0 1/9 रामलाल पुत्र मेवा हि0 1/9 सुजाराम पुत्र मेवा हि0 1/9
जाति बलाई सा0देह खसरा नंबर 1175/1 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 1175/2
रकबा 0.25 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.31 हैक्टेयर की खातेदारी जयपुर
विकास प्राधिकरण जयपुर खसरा नंबर 3006/1175 रकबा 0.17 हैक्टेयर,
3007/1175 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 3009/1173 रकबा 0.41 हैक्टेयर,
3011/1179 रकबा 0.0234 किता 4 रकबा 0.6534 की खातेदारी नोरत्या पुत्र
नाथ्या हि0 पूर्ण जाति बलाई सा0देह राहिन हि0 1/3 एचडीएफसी बैंक
शाखा बगरू के नाम रिकॉर्ड दर्ज है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

जवाब उपरांत वाद में तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 नवरतन पुत्र नन्छुराम, पीडब्ल्यू–2 रामलाल पुत्र मेवा, पीडब्ल्यू–3 मनफुल पुत्र मेवा पेश किये गयें। मुख्य परिक्षण करवाया गया। प्रतिवादी द्वारा जिरह नही करने पर जिरह का अवसर बंद किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही करने पर साक्ष्य प्रतिवादी का अवसर भी बंद किया गया।

वादपत्र पर बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबंदी संतव् 2074–77 खाता संख्या नया 425 पुराना 393 ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में वादी का नाम नोरत्या पुत्र नाथ्या हिस्सा 1/3 जाति बलाई सा0खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–2 नामान्तकरण संख्या 175 में खाता संख्या 177 में सुवा पुत्र भैरू जाति बलाई से मेवा व शक्कर पि0 सुवा नोरत्या पुत्र नन्छा जाति बलाई सा0देह के नाम स्वीकृत हुआ है। प्रदर्श–13 पेन कार्ड, प्रदर्श–15 परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श–14 आधार कार्ड व साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 से पीडब्ल्यू–3 उपरोक्त दस्तावेजात से जाहिर है कि वादी का सही नाम नवरनत पुत्र नन्छुराम है। और प्रदर्श–2 प्रदर्श–2 नामान्तकरण संख्या 175 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात वादी को उनके पूर्वज सुवा से उक्त फौती नामांतकरण से प्राप्त हुई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि नोरत्या पुत्र नाथ्या व नवरतन पुत्र नन्छुराम एक ही व्यकित है। जिसे दुरूस्त करना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर आराजी खाता संख्या 425 के आराजी खसरा नंबर 1168 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1169 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1173 रकबा 1.000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1175 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1176 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1177 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1179 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 07 कुल रकबा 2.0100 हैक्टेयर ग्राम कलवाडा पटवार हल्का कलवाडा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित वादी का नाम नोरत्या पुत्र नाथ्या के स्थान पर नवरतन पुत्र नन्छुराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर अमल–दरामद करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व इजलास श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

नवरतन बनाम तहसीलदार सांगानेर

वाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर – दावा/2020/116

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर आराजी खाता संख्या 425 के आराजी खसरा नंबर 1168 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1169 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1173 रकबा 1.000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1175 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1176 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1177 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1179 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 07 कुल रकबा 2.0100 हैक्टेयर ग्राम कलवाडा पटवार हल्का कलवाडा भू०अ०नि० क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित वादी का नाम नोरत्या पुत्र नाथ्या के स्थान पर नवरतन पुत्र नन्छुराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर अमल–दरामद करें। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.07.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय